<u>न्यायालयः–अपर सेशन न्यायाधीश, घड़साना, जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारी– **ऋषि कुमार**, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्र.सं. – 54/2018 (20/2012)
सी.आई.एस.नं. – 54/2018

राजस्थान राज्य

बनाम

1. मोनू उर्फ मांगीलाल पुत्र शंकरलाल निवासी पीलीबंगा , जिला हनुमानगढ।
2. लेखराम पुत्र बृजलाल उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं. 5 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ। (**मफरूर**)
3. अमन सिंह उर्फ एम .पी. पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नं . 25 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ। (**मफरूर**)
4. सोनू उर्फ सोमनाथ पुत्र ओमप्रकाश उम्र 20 साल निवासी धक्का बस्ती भटटाकला जिला फतेहाबाद, हरियाणा (**मफरूर**)
5. कृष्णलाल पुत्र पृथ्वीराम उम्र 23 साल निवासी 79 एल.एन.पी. जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान। (**फैसला दिनांक 29.04.2025**)

– अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 328, 365, 379, 120 बी भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री महीराम सुथार विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य पक्ष
2. श्री सतपाल बिश्नोई, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण सं.1 ता 3

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक–02.02.2026</u>**

01. इस प्रकरण में मुल्जिम कृष्णलाल की हद तक प्रकरण का निस्तारण दिनांक 29.04.2025 को किया जा चुका है तथा मुल्जिमान सोनू, अमनदीप, लेखराम मफरूर घोषित है, इसलिए प्रकरण का निस्तारण शेष मुल्जिम मांगीलाल की हद तक किया जा रहा है।

02. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 27.05.2012 को परिवादी अमीचन्द ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना रावला में इन तथ्यों की पेश की कि उसके नाम से एक बोलेरो गाड़ी आर जे 13 यू.ए. 3297 है। इस गाड़ी पर श्रवण चालक का काम कर रहा है। दिनांक 26.05.2012 को शाम के 04.30 बजे श्रवण मेरे पास गाड़ी के स्टोर पर आया तथा कहा कि गोलूवाला सवारी छोड़ने जा रहा हूं। फिर करीब 04.50 बजे श्रवण ने इस गाड़ी के पार्टनर देवीलाल को फोन करके सवारी छोड़ने गोलूवाला जाना बताया। फिर रात्रि 09 बजे देवीलाल ने श्रवण से फोन से सम्पर्क करना चाहा तो फोन स्वीच ऑफ आया। आज श्रवण सुबह फरीदसर ओडान के पास चौराहे पर बेहोश हालत में मिला व बोलेरो गाड़ी चोरी होने का पता चला। तीन लोग उन्होंने श्रवण को नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी चोरी करके ले गये आदि ।

03. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना रावला में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2012 अंतर्गत धारा 328. 379, 365 भा.द.स.में दर्ज की गई व बाद अनुसंधान अभियुक्तगण कृष्णलाल, लेखराम, अमनदीप, मोनू उर्फ मांगीलाल, सोनू उर्फ सोमनाथ के विरूद्ध धारा 328, 365, 379, 120 बी भा.द.सं. में न्यायिक मजि, घड़साना के समक्ष पेश किया।

04. घडसाना मुख्यालय पर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, घड़साना का नवसृजन होने पर यह प्रकरण न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपगढ, कैम्प घड़साना से अंतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

05. बहस चार्ज सुनी जाकर मुल्जिमान को धारा 328, 365, 379, 120 बी भा.द.स. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो मुल्जिमान ने आरोपों को अस्वीकार किया व अन्वीक्षा चाही ।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी.ड.1 श्रवण कुमार, पी.ड.2 अमीचंद, पी.ड.3 देवीलाल, पी.ड.4 गुलाब सिंह, पी.ड.5 डॉ. सुरेन्द्र कुमार मित्तल को परीक्षित करवाया गया।

07. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में श्रवण कुमार के धारा 161 दं.प्र.स. के कथन प्रदर्श पी.1, नक्शा मौका प्रदर्श पी.2,

लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.3, फर्द गिरफतारी मुल्जिम अमन सिंह प्रदर्श पी.4, फर्द गिरफतारी मुल्जिम मोनू उर्फ मांगीलाल प्रदर्श पी.5, फर्द बरामदगी मूल आर.सी.व मूल बीमा बोलेरो जीप नं. आर.जे. 13 यू.ए.3297 प्रदर्श पी.6, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.7, धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी.8,फर्द गिरफतारी मुल्जिम लेखराम प्रदर्श पी .9, फर्द गिरफतारी मुल्जिम कृष्णलाल प्रदर्श पी.10, फर्द जब्ती बोलेरो जीप नं. आर.जे. 13 यू.ए.3297 प्रदर्श पी.11, मुल्जिम मोनू उर्फ मांगीलाल की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी. 12, नक्शा मौका प्रदर्श पी.13, हालात मौका प्रदर्श पी. 14, अनुसंधान अधिकारी द्वारा चिकित्सा अधिकारी को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी. 15 प्रदर्शित करवाये गये।

08. मुल्जिम को अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.स. में परीक्षित किया गया। मुल्जिम ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाही। मुल्जिम की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में साक्षी देवीलाल के धारा 161 द. प्र.से के कथन प्रदर्श डी 01 प्रदर्शित करवाये।

09. बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते है–

1. क्या मुल्जिम ने दिनांक 26.05.2012 को श्रवण कुमार को बीयर में नशा पिलाकर उसका सदोष परिरोध करते हुए अपहरण किया व श्रवण कुमार के कब्जे से बोलेरो गाड़ी बेईमानी से अन्य मुल्जिमान के साथ षड़यंत्र रचकर ले गये ?

2. यदि हां, तो उचित दंड क्या हो ?

10. बहस के दौरान विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कथन किया कि अभियोजन की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश हुई है उससे यह आरोप सन्देह से परे साबित है कि दिनांक 26.05.2012 को मुलजिम ने अन्य मुलजिमान के साथ मिलकर श्रवण कुमार को बीयर में नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण किया तथा श्रवण कुमार के कब्जे से उसकी गाड़ी को छीन लिया व श्रवण कुमार को फरीदसर ओडान के पास चौराहे पर फेंककर चले गये। मुलजिमान की सूचना से उनके कब्जे से जो गाड़ी लेकर गये थे उसकी आर.सी. बरामद हुई है तथा जिस गाड़ी को लेकर गये थे वह भी बरामद हुई है तथा श्रवण कुमार का चिकित्सक परीक्षण भी करवाया गया था जिससे भी यह साबित है कि मुलजिम मांगीलाल व अन्य

मुल्जिमान श्रवण कुमार को जबरदस्ती लेकर उसकी गाड़ी को चोरी कर लिया था। अतः मुलजिम को आरोपित आरोपों से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

11. इसके विरोध में मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अभियोजन ने यह आरोप लगाया है कि मुलजिम मांगीलाल ने अन्य मुलजिमान के साथ मिलकर श्रवण कुमार का अपहरण कर उससे गाड़ी छीन ली। जबकि श्रवण कुमार पी.डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ है और पक्षद्रोही घोषित हुआ है। मुलजिम ने इससे कोई गाड़ी छीनी हो ऐसा कोई कथन इस साक्षी ने नहीं किया है तथा इनको पहचानने से भी इन्कार किया है। अनुसंधान के दौरान श्रवण कुमार से मुलजिम की पहचान भी नहीं करवाई गई थी। चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार उसे कोई जहरीला पदार्थ दिया गया हो. ऐसी साक्ष्य भी नहीं है। इसके अलावा इस प्रकरण का अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। इस प्रकरण में जो अनुसंधान किया गया था वह ओमप्रकाश ए.एस.आई. द्वारा किया गया था, परन्तु उक्त साक्षी अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान पेश नहीं हुआ है। जिस कारण से जो जब्ती होना बताया गया है वह भी साबित नहीं है। अतः अभियोजन का मामला मुलजिम के विरूद्ध सन्देह से परे साबित नहीं है। अतः मुलजिम को सन्देह का लाभ दिया जाकर आरोपित आरोपो से दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

12. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

13. इस प्रकरण में अभियोजन का यह आरोप है कि मुलजिम मांगीलाल ने अन्य मुलजिमान के साथ मिलकर श्रवण कुमार का अपहरण कर उससे गाड़ी छीनी। श्रवण कुमार विचारण के दौरान पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। इस साक्षी ने कथन किया है कि जो व्यक्ति मेरे पास आये थे में उनको नहीं पहचानता , न ही उनके नाम–पते जानता हूं। इसने अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 01 से भी इन्कारी की है। इसने कहा है कि नक्शा मौका मेरे सामने नहीं बनाया। खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी पी. डब्ल्यू. 02 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इसने अपनी मुख्य परीक्षा में लिखित रिपोर्टमुख्य परीक्षा में लिखित रिपोर्ट पेश करने , नक्शा मौका बनाये जाने के कथन किये है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसे श्रवण ने यह नहीं बताया था कि वह किस सवारी को छोडने गोलूवाला

जा रहा है न ही किसी सवारी का नाम बताया। साक्षी पी.डब्ल्यू., 03 देवीलाल भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इसके सामने मुलजिम कृष्णलाल को गिरफतार किया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कही भी मुलजिम का नाम नही लिया है। साक्षी पी.डब्ल्यू. 04 गुलाब सिंह मुलजिम कृष्णलाल को गिरफतार करने के संबंध में कथन किये है व साथ ही एक बोलेरो गाडी जब्त होने के कथन किये हैं, परन्तु उक्त जब्ती की कार्यवाही ए.एस.आई. ओमप्रकाश द्वारा की गई थी। उक्त साक्षी अभियोजन की ओर से पेश नहीं हुआ है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि बोलेरो गाड़ी जब्त होने के स्थान का प्रदर्श पी. 11 में हवाला नहीं है। जब्ती के समय परिवादी भी हमारे साथ नहीं था। साक्षी पी.डब्ल्यू 06 चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र कुमार मित्तल है जिसने श्रवण कुमार के चिकित्सा परीक्षण के बारे में साक्ष्य दी है। इसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मैंने यह जांच नहीं करवायी थी कि श्रवण कुमार को जहर दिया गया है या नहीं।

14. अतः अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है उसमें अभियोजन का महत्वपूर्ण साक्षी श्रवण कुमार पक्षद्रोही घोषित हुआ है। इसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है व मुलजिम को भी पहचानने से इन्कार किया है। अनुसंधान के दौरान पहचान की कोई कार्यवाही भी नहीं करवायी गई। इस प्रकरण में अनुसंधान ओमप्रकाश ए.एस.आई. द्वारा किया गया था। उक्त साक्षी को अभियोजन ने पेश नहीं किया है। जिस कारण से इस प्रकरण में जो बरादमगी हुई है वह भी साबित नहीं है। इसके अलावा इस प्रकरण में घटना के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन की ओर से पेश नहीं हुआ है। जिस कारण से अभियोजन मुलजिम मांगीलाल के विरूद्ध आरोपित आरोप सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः मुलजिम मांगीलाल आरोपित आरोपो से दोषमुक्त किये जाने का हकदार है।

आदेश

15. अतः मुल्जिम **मोनू उर्फ मांगीलाल** पुत्र शंकरलाल निवासी पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ को धारा 328, 365, 379, 120 बी भा.द.स. के आरोपो से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। मुल्जिम के उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

16. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के प्रावधानानुसार विहित अवधि के लिए मुल्जिम को

10,000 /– रूपये राशि का स्वंय का बंध पत्र व इसी प्रकार राशि की एक प्रतिभूति प्रस्तुत कर प्रमाणित कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

17. इस प्रकरण में मुल्जिमान लेखराम, अमनसिंह उर्फ एम.पी व सोनू उर्फ सोमनाथ मफरूर है, अतः पत्रावली पर लाल स्याही से नोट लगाया जावे कि पत्रावली का कोई भाग तलफ न किया जावे।

(ऋषि कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
घड़साना, जिला श्रीगंगानगर

18. निर्णय व आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ऋषि कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
घड़साना, जिला श्रीगंगानगर